कुमाऊँ विश्वविद्यालय
डी० एस० बी० परिसर

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

नैनीताल–263 002
उत्तराखण्ड, भारत
फोन 05942–232779

Ref. ....

मैस संचालन हेतु निविदा–आमंत्रण

Date....................

वर्ष 2022–23 डी०एस०बी० परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के महिला छात्रावास के०पी०, गौरा देवी, रानी लक्ष्मीबाई तथा केनफील्ड पुरुष छात्रावास की "छात्रावासों के मैस" के संचालन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 31 अगस्त, 2022 के अपराह्न 12:00 बजे तक पंजीकृत डाँक/स्पीड पोस्ट से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल के कार्यालय से प्रत्येक छात्रावास हेतु पृथक–पृथक रू० 1,000/– (एक हजार रूपया मात्र) + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० कुल रूपया 1,180/– (एक हजार एक सौ अस्सी रूपया मात्र) नकद जमा कर 16 अगस्त, 2022 से 30 अगस्त, 2022 तक प्रातः 11:00 बजे से 3:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। विस्तृत जानकारी निविदा प्रपत्र में संलग्न है।

इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग–7 के शासनादेश 02/XXVII(7)/32/2007T.C./2020 दिनांक 06–01–2021 को दृष्टिगत रखते हुए महिला छात्रावासों में मैस संचालन में नियमानुसार स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जायेगी।

12/08/2022

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
डी०एस०बी० परिसर,

पत्रांक: डी०एस०डब्ल्यू०/छा०मैस/2022/30 दिनांक: 12–08–2022

प्रतिलिपि :–

1. सम्पादक, उत्तर उजाला, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार–पत्र में **दिनांक 13 अगस्त, 2022 को नैनीताल संस्करण** में न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रकाशन के साथ अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, के०यू०आई०आई०सी०, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेब साईड में अपलोड करवाने का कष्ट करें।
3. निदेशक, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
4. सूचना पटट, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
5. सूचना पटट, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
7. निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।

12/08/2022

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
डी०एस०बी० परिसर,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

मूल्य–1,000/– (एक हजार रूपया मात्र)+

जी0एस0टी0**@ 18%= 180.00** कुल रूपया 1,180/– (एक हजार एक सौ अस्सी रूपया मात्र)

डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल के पुरूष एवं महिला छात्रावासों हेतु निविदा की शर्तें एवं प्रतिबन्ध

(अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में जमा किया जाय)

शैक्षिक सत्र वर्ष 2022–23 में डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल के पुरूष एवं महिला छात्रावासों हेतु **'छात्रावास मैस'** को निम्नांकित शर्तों एवं नियमों के अन्तर्गत अनुबन्ध पर चलाने के लिए निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :–

1. छात्रावासों हेतु **'छात्रावास मैस' की** निविदाऐं वर्ष 2022–23 हेतु आमंत्रित की जाती है। सन्तोषजनक सेवा प्रदान करने पर विस्तारीकण पर समिति के माध्यम से विचार किया जा सकता है।

2. निविदा प्रपत्र के साथ रू0 25,000/– **(पच्चीस हजार रूपया मात्र)** की धरोहर राशि (Security Money) राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 जो एक वर्ष की अवधि के लिए सहायक लेखाधिकारी, डी0एस0बी0 परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पदनाम से बन्धक हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। नकद राशि बैंकर्स चैक एवं चैक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

3. **वार्षिक किराया:** निविदाओं में केनफील्ड छात्रावास (ब्लॉक ''ए'' ''बी'' एवं ''सी'') का न्यूनतम वार्षिक किराया रू0 4,50,000/–, रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास का न्यूनतम वार्षिक किराया रू0 2,90,000/–, गौरा देवी छात्रावास का न्यूनतम वार्षिक किराया रू0 2,90,000/– एवं के0पी0 छात्रावास (ब्लॉक ''ए'') का न्यूनतम वार्षिक किराया रू0 2,50,000/– से न्यून किराया मान्य नहीं होगा। मैस संचालक को किराया एक किस्त के आधार पर अग्रिम के रूप में छात्रावास मद में जमा करना अनिवार्य होगा।

4. **दिनांक 31 अगस्त, 2022 को पूर्वाहन 12:00 बजे तक पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट से स्वीकार की जायेंगी एवं उक्त तिथि को ही अपराह्न 1:00 बजे** सभी निविदायें गठित समिति के समक्ष अधिष्ठाता छात्र कल्याण की उपस्थिति में खोली जायेंगी। प्रथम स्वीकृत निविदादाता द्वारा कार्य न किए जाने पर उसकी जमा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय स्थान वाले निविदादाता को मैस संचालन कार्य स्वीकृत कर दिया जायेगा। शेष राशियों वाले ठेकेदारों की धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।

5. कुमाऊँ विश्वविद्यालय के परिसर नैनीताल/भीमताल का कोई भी छात्र, शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी न तो निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे और न ही संचालन कार्य में भागीदार होंगे।

6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये विश्वविद्यालय के डी0एस0बी0 परिसर के अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा अस्वीकार/निरस्त किया जा सकता है।

7. परिसर की छात्रावास मैस में व्यावसायिक गैस का उपयोग किया जायेगा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी से खाद्य लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा, एक्सपायरी डेट की कोई भी सामग्री उपयोग नहीं होगी एवं फायर सिस्टम लगाये जायेंगे।

8. प्रत्येक छात्रावास में एक मैस समिति बनाई जायेगी जिसमें अधीक्षक तथा 5 छात्र/छात्राऐं सम्मलित होंगे, जिनके बनाये गये छात्रावास नियमों के पालन करने हेतु मैस ठेकेदार बाध्य होगा। यदि छात्रावास में गठित मैस समिति अधीक्षक/अधीक्षिका तथा छात्र/छात्रा द्वारा मैस के ठेकेदार से असन्तुष्ट होने की स्थिति में बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार परिसर प्रशासन के पास सुरक्षित होगा।

9. पुरूष एवं महिला छात्रावासों में प्रातः एवं रात्रि हेतु भोजन व्यवस्था का विवरण निम्नवत् निर्धारित होगा–

छात्र छात्रावास में – दोपहर का भोजन रू0 50.00 रात्रि का भोजन रू0 50.00	**छात्रा छात्रावास में –** दोपहर का भोजन रू0 45.00 रात्रि का भोजन रू0 45.00
रोटी, चावल, सलाद सीजनल सब्जी एवं दाल	रोटी, चावल, सलाद सीजनल सब्जी एवं दाल
रविवार को स्पेशल (शाकाहारी) रू0 85 मटर पनीर/मसरूम मटर पूरी, सलाद एवं स्वीट डिस **रविवार को स्पेशल (मांसाहारी)** रू0 85 मटन/चिकन 4 पीस रोटी, चावल, सलाद एवं स्वीट डिस	**रविवार को स्पेशल (शाकाहारी)** रू0 85 मटर पनीर/मसरूम मटर पूरी, सलाद एवं स्वीट डिस **रविवार को स्पेशल (मांसाहारी)** रू0 85 मटन/चिकन 4 पीस रोटी, चावल, सलाद एवं स्वीट डिस

नोटः मैस ठेकेदार को ब्रत एवं त्यौहार के दिन प्रातःकाल दो केले/सेब एवं 250 मिली0 दूध तथा रात्रि में आलू, रोटी/पूरी एवं दही उपलब्ध करना होगा। यदि अचनाक कोई छात्र/छात्रा बीमार पड़ जाता/जाती है तो ऐसी स्थिति में छात्र/छात्रा को डेली डाईट के स्थान पर दलिया/मूंग की खिचड़ी उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। मैस में बेची जाने वाली वस्तुओं की दरें अधिकतम् निम्नवत् होंगी :–

सूची (क)	1. चाय	रू0 10.00 प्रति कप 250ML
	2. काफी	रू0 15.00 प्रति कप 250ML
सूची (ख)	1. बन (80 ग्राम)	रू0 8.00 प्रति
	2. बन–मक्खन	रू0 20.00 प्रति
	3. स्लाइस–मक्खन (दो ब्रेड)	रू0 20.00 प्रति
	4. अण्डा बॉइल्ड (1)	रू0 10.00 प्रति
	5. आमलेट (दो अण्डा)	रू0 15.00 प्रति
	6. 5 पूरी, आलू, अचार	रू0 25.00 प्रति

	7. पैक बिस्कुट, पेटीज, शीतल पेय (कोक, पैप्सी इत्यादि)	मुद्रित मूल्य पर
सूची (ग)	1. समोसा	रू0 8.00 प्रति
	2. बन–टिक्की	रू0 15.00 प्रति
	3. ब्रेड पकोड़ा	रू0 10.00 प्रति
	4. छोले–भटूरे (2)	रू0 20.00 प्रति
	5. आलू के परौंठे	रू0 15.00 प्रति परौंठा

(उपर्युक्त सूची क, ख, ग, में वर्णित खाद्य वस्तुओं की दरों में GST सम्मलित है) उपरोक्त के अतिरिक्त यदि मैस ठेकेदार कोई अन्य वस्तु मैस में बेचता है तो उसका मूल्य मैस समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार अन्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हेतु तथा दरों में परिवर्तन हेतु मैस समिति विचार करेगी। समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

10. परिसर की छात्रावास मैसों में भोजन व्यवस्था निम्नवत् होगी –

ग्रीष्मकालीन – 01 अप्रैल से 30 सितम्बर	प्रातः 6:00 से सायं 09:30 बजे तक
शीतकालीन – 01 अक्टूबर से 31 मार्च	प्रातः 7:00 से सायं 09:45 बजे तक

11. रात्रि 10:30 बजे के बाद मैस ठेकेदार व उसका कोई भी कर्मचारी छात्रावास में निवास नहीं करेगा।

12. छात्र/छात्राओं को प्रत्येक माह में अधिकतम 20 डाईट (Diet) को ऑफ' कराने का अधिकार होगा तथा कम से कम 40 डाईट (Diet) का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। डाईट में प्रातः नाश्ता शामिल नहीं होगा। विश्वविद्यालय के ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवधि में एवं छात्र व छात्राओं के किसी कारणवश लम्बी अवधि के लिए छात्रावास में अनुपस्थित रहने पर इसे मुक्त रखा जायेगा। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त धनराशि छात्र/छात्राओं से प्राप्त नहीं की जायेगी।

13. राजकीय अवकाश यथा–दशहरा, दीपावली, होली इत्यादि एवं छात्र/छात्रा के अस्वस्थ्य होने तथा छात्रावास में न होने पर 40 डाईट का प्रावधान उन छात्र/छात्राओं पर लागू नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में मैस संचालक छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका की अनुमति के उपरान्त अस्वस्थ्य छात्र/छात्रा हेतु विशेष प्रकार का व्यंजन यथा–जौला, खिचड़ी, दलिया इत्यादि तैयार कर उपलब्ध करायेंगे।

14. 10 छात्र/छात्राओं से कम होने पर भोजन की व्यवस्था किए जाने हेतु मैस संचालक स्वतंत्र होगा।

15. परिसर की मैस समिति के सदस्यों द्वारा समय–समय पर मैस में बेची जानी वाली वस्तुओं की गुणवत्ता की जाँच की जायेगी। गुणवत्ता ठीक न पाये जाने पर ठेकेदार का ठेका किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

16. मैस का ठेका लेने वाले ठेकेदार को अपना तथा मैस में कार्य करने के लिए नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी का पूर्ण विवरण आधार कार्ड सहित, ठेकेदार द्वारा प्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटो एवं पूर्ण विवरण के साथ अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं छात्रावास कार्यालय में निविदा स्वीकृति के 07 दिन के अन्तर्गत उपलब्ध कराना आवश्यक है।

17. मैस के सभी कर्मचारियों के पास कार्य के समय अपने पास अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा जारी परिचय पत्र रखना होगा।

18. मैस ठेकेदार को निविदा के अनुरूप मूल्य सूची मैस के बाहर व अन्दर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

19. मैस मे मदिरापान, धूम्रपान व तम्बाकू सम्बन्धित किसी भी प्रकार की मादक सामग्री अथवा अन्य अवांछित सामग्री का विक्रय व सेवन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। इसके उल्लंघन पर मैस का ठेका निरस्त करने का अधिकार मैस समिति की संस्तुति पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल को होगा। मादक पदार्थों के सेवन में यदि कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

20. मैस से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं की समस्या के निराकरण का अधिकार छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका को होगा, जिसका पालन करना, मैस ठेकेदार को अनिवार्य होगा।

21. मैस में पूर्ण अनुशासन बनाये रखने का दायित्व पूर्णरूप से मैस ठेकेदार का होगा। मैस से सम्बन्धित किसी भी समस्या के सम्बन्ध में मैस ठेकेदार स्वयं अपनी समस्या के समाधान हेतु अधीक्षक/अधीक्षिका को अवगत करायेगा। मैस ठेकेदार मैस से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान हेतु मैस कर्मचारी/अन्य व्यक्तियों के माध्यम से किसी तरह का दबाव नहीं बनायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो उक्त ठेकेदार द्वारा नियमों का उल्लंघन माना जायेगा। यदि ऐसा प्रकरण प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित मैस ठेकेदार के विरूद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

22. यदि किसी पूर्व ठेकेदार के द्वारा पुनः निविदा प्रस्तुत की जाती है और यदि उस पर देय बकाया है तो उस स्थिति में उस मैस ठेकेदार द्वारा उच्चतम निविदा होने की स्थिति में भी उसकी निविदा स्वीकार नहीं होगी जब तक कि वह बकाया देय धनराशि का भुगतान न कर दे और सम्बन्धित से आदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

23. प्रत्येक कार्य दिवस में सूची "ग" में वर्णित खाद्य पदार्थों में से कोई भी दो सामग्री को मैस के रसोई घर में अनिवार्य रूप से बनाना होगा तथा प्रत्येक कार्यदिवस में दोपहर एवं रात्रि भोजन में विविधता होना अनिवार्य होगा।

24. विद्युत का प्रयोग केवल प्रकाश हेतु ही किया जायेगा। मैस में म्यूजिक सिस्टम/डेक/ट्रांजिस्टर/वाद्य यंत्र आदि का प्रयोग निषिद्ध है।

25. मैस में विद्युत व्यय का भुगतान सब मीटर के आधार पर विद्युत किराया सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा विभागीय दरों पर किया जायेगा तथा पानी पर व्यय रू0 1,500/– प्रतिमाह एवं सफाई पर व्यय रू0 1,000/– प्रतिमाह मैस ठेकेदार द्वारा छात्रावास मद में जमा किया जायेगा। उक्त से सम्बन्धित धनराशि का लेखा–जोखा छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा रखा जायेगा।

26. निविदा स्वीकृति होने की दशा में उपरोक्त सभी नियमों के पालन के लिए एवं परिसर प्रशासन द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों को मानने के लिए सम्बन्धित ठेकेदार प्रतिबद्ध होगा। मैस में वर्तमान में जो भी फर्नीचर मौजूद है उसके अतिरिक्त फर्नीचर छात्रावास मैस समिति की संस्तुति पर दिया जा सकता है। फर्नीचर/विद्युत उपकरणों का रख–रखाव का दायित्व मैस ठेकेदार का होगा। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए सम्पूर्ण देय **किराये के 10 प्रतिशत अर्थदण्ड** के साथ–साथ क्षति की गयी सामग्री को उपलब्ध कराना होगा।

27. मैस एवं उसके आस–पास की सफाई एवं मैस से सम्बन्धित अवशिष्ट पदार्थों का निस्तार का उत्तरदायित्व मैस ठेकेदार का होगा। मैस भवन (किचन एवं डाईनिंग हॉल) एवं उनमें लगे उपकरणों की सुरक्षा का दायित्व भी मैस ठेकेदार का होगा।

28. ठेकेदार को परिसर के साथ **नियमानुसार रू0 100/– के** नान–जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध (एग्रीमेन्ट) नोटरी सहित करना होगा। एग्रीमेन्ट करने के उपरान्त ही मैस सौंपी जायेगी।

29. विश्वविद्यालय के कुलपति, निदेशक डी0एस0बी0 परिसर नैनीताल, अधिष्ठाता छात्र कल्याण बोर्ड तथा प्राक्टोरियल बोर्ड को मैस निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा अनुबन्ध शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर बोर्ड को ठेकेदार के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का पूर्ण अधिकार होगा।

30. निविदादाता का जी0एस0टी0 एवं आयकर में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

31. निविदादाता के पास राजकीय/उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव या सरकारी शिक्षण संस्थानों में तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है बिना अनुभव की निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

32. निविदादाता को अचल सम्पति का हैसियत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

33. जो निविदादाता जिस नाम से निविदा प्राप्त करेगा वही व्यक्ति मैस चलाने हेतु उत्तरदायी होगा। उक्त मैस के संचालन हेतु निविदादाता अपने कर्मचारियों के छात्रावास में प्रवेश हेतु अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा जारी अनुमति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

34. मैस में पूर्णतः हाइजिनिंग मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

35. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद के निस्तारण हेतु नैनीताल न्यायालय होगा।

36. मैस ठेकेदार को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा जो छः माह से पुराना ना हो।

37. यदि प्रथम निविदादाता द्वारा अपना कार्य सन्तोषजनक नही किया जाता है, बीच में छोड़कर चला जाता है या पूर्ण किराये की पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति मे उस फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

38. निविदादाता का टर्न ओबर रू0 15,00,000/- होना आवश्यक है, जिस हेतु चार्टर्ड एकाउन्टैण्ट का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

39. विगत 03 वर्षों का आय-कर रिर्टन प्रपत्र (आई0टी0आर0) वित्तीय वर्ष 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022 संलग्न करना अनिवार्य होगा।

40. निविदाकर्ता को रू0 25,00,000/- का अचल सम्पत्ति का हैसियत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

41. श्रम कानून के प्राविधानों का उलंघन करने पर फर्म/ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे।

42. महिला छात्रावासों में समान दरें पाये जाने पर स्वयं सहायता समूह को वरीयता दी जायेगी।

43. अपिहार्य स्थिति में निर्धारित तिथि को समय पर निविदा नहीं खोले जाने की स्थिति में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।

44. छात्रावास मैस हेतु आमंत्रित की जा रही निविदा स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

मैस ठेकेदार की घोषणा

मैं ------------------------------ पुत्र श्री ------------------------------

निवासी --

छात्रावास का नाम --'मैस'

को उपरोक्त शर्तों एवं नियमों पर चलाने के लिए निविदा प्रस्तुत करता हूँ। मैस का सत्र 2022–23 का कुल किराया रू0 (अंकों में)------------------------------ (शब्दों में)------------------------------ ठेके की अवधि में वर्णित भुगतान शर्तों के अनुसार करूंगा तथा परिसर के अधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन करूंगा। इस पत्र के साथ रू0 ------------------------ की धरोहर राशि की रसीद / बैंक ड्राफ्ट संलग्न है।

ठेकेदार की पासपोर्ट साईज फोटो

राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित

हस्ताक्षर ----------------------

नाम ठेकेदार ----------------------

पिता का नाम ----------------------

एवं पूर्ण पता ----------------------

मो0 नं0 ----------------------

दिनांक ----------------------

सत्यापित फोटो के अतिरिक्त एक फोटो इस प्रपत्र के साथ जमा करनी होगी तथा अपने स्थाई एवं वर्तमान निवास का प्रमाण–पत्र टेलीफोन नम्बर सहित देना अनिवार्य होगा।

शपथ–पत्र

(रू0 100/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर होना अनिवार्य है)

मैं------------------------------पुत्र श्री------------------------------

स्थाई पता------------------------------तहसील--------------------जिला----------

का निवासी हूँ तथा सशपथ निम्न बयान करता हूँ –

1. यह कि शपथकर्ता उपर्युक्त पते का निवासी है एवं इस आशय का प्रमाण (पैन कार्ड अथवा वोटर आई0डी0) प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. यह कि शपथकर्ता को कुमाऊँ विश्वविद्यालय, की छात्र/छात्रा छात्रावास की मैस आवंटित है।

3. शपथकर्ता सत्र 2022–2023 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसरों, सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं नैनीताल जिले की शिक्षण संस्थाओं में संस्थागत छात्र नहीं था और न ही वर्तमान में है।

हस्ताक्षर

मैं कि शपथकर्ता तसदीक करता हूँ कि शपथ पत्र के पैरा 01 से 03 तक सभी तथ्य सही हैं।

हस्ताक्षर

दिनांकः